(97)

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक- भ॰निर्॰यो॰-4-विविध-22/16 29 राँची, दिनांक- 26-2-18

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का गठन सरकार की भवन निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण वृहत संरचनाओं के गुणवत्तापूर्ण ससमय निर्माण हेतु किया गया है। निगम में प्रति परियोजना कार्यान्वयन इकाई योजनाओं की संख्या एवं उपलब्ध कार्यबल की कमी को देखते हुए निगम के द्वारा निम्नलिखित जिलों में कराये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कार्यहित में उस जिला में स्थित भवन प्रमण्डल के द्वारा कराया जाएगा। इन जिलों में कार्यरत भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता को निगम के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रबंधक (परियोजना) घोषित किया जाता है। निगम के कार्यों का कार्यान्वयन निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधक –सह– कार्यपालक अभियंता अपने अधीन कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को अपने स्तर से कार्य आवंटित करेंगे।

क्रमांक	जिला का नाम	भवन प्रमण्डल
1	गढ़वा	भवन प्रमण्डल, गढ़वा
2	लातेहार	भवन प्रमण्डल, लातेहार
3	साहेबगंज	भवन प्रमण्डल, साहेबगंज
4	जामताड़ा	भवन प्रमण्डल, जामताड़ा
5	पाकुड़	भवन प्रमण्डल, पाकुड़
6	गिरिडीह	भवन प्रमण्डल, गिरिडीह
7	चतरा	भवन प्रमण्डल, चतरा
8	गुमला	भवन प्रमण्डल, गुमला
9	लोहरदगा	भवन प्रमण्डल, लोहरदगा
10	सिमडेगा	भवन प्रमण्डल, सिमडेगा
11	सरायकेला	भवन प्रमण्डल, सरायकेला

2. उपर वर्णित जिलों के प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता अपने अपने जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित मापी पुस्ति एवं अन्य अभिलेख इन कार्यों का वर्तमान में पर्यवेक्षण कर रहे परियोजना कार्यान्वयन इकाई से विधिवत हस्तांतरण सुनिश्चित कर इसकी सूचना निगम मुख्यालय को देंगे।
3. निगम के कार्यों की समीक्षा हेतु समय समय पर निगम अथवा विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा आयोजित समीक्षात्मक बैठकों में प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर निगम मुख्यालय में हर माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराएँगे।
4. चल रहे निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कनीय अभियंता सहायक अभियंता के माध्यम से प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता को समर्पित करेंगे। प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से विपत्र की जाँच कर भुगतान हेतु निगम मुख्यालय में समर्पित करेंगे।

98

5. निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता संबंधित परामर्शियों, प्रशासी विभागों तथा जिला के उपायुक्तों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

26.2.18

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग सह प्रबंध
निदेशक,
झा0रा0भ0नि0नि0लिमिटेड
राँची।

ज्ञापांक:– 467(अ) दिनांक:– 26-2-18

प्रतिलिपि:– कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/महाप्रबंधक (परामर्शी)/उप महाप्रबंधक (योजना एवं निरूपण)/उप महाप्रबंधक (परामर्शी)/उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)/प्रबंधक (परियोजना), मुख्यालय/प्रबंधक (लेखा एवं कर)/प्रबंधक (प्रशासन) JSBCCL, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.18

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग सह प्रबंध
निदेशक,
झा0रा0भ0नि0नि0लिमिटेड
राँची।

ज्ञापांक 467(अ) दिनांक 26-2-18

प्रतिलिपि:– उपायुक्त, गढ़वा/लातेहार/साहेबगंज/जामताड़ा/पाकुड़/गिरिडीह/चतरा/ गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा/सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.18

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग सह प्रबंध
निदेशक,
झा0रा0भ0नि0नि0लिमिटेड
राँची।

ज्ञापांक 467(अ) दिनांक 26-2-18

प्रतिलिपि:– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गढ़वा/लातेहार/साहेबगंज/जामताड़ा/पाकुड़/गिरिडीह/चतरा/गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा/सरायकेला, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.18

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव
भवन निर्माण विभाग सह प्रबंध
निदेशक,
झा0रा0भ0नि0नि0लिमिटेड
राँची।